

अजमेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com



फोन:- 2627612, 2427249 फैक्स:- 0145-2624665

वर्ष: 27 संख्या: 55

प्रभात

अजमेर, शुक्रवार 23 सितम्बर, 2022

आर.जे./ए.जे./73/2015-2017

पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.



एक नए डेटा के अनुसार गत 30 वर्षों में 11 लाख से अधिक सी टर्टल्स को अवैध रूप से मारा गया है। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि, संक्षण कानून होने के बाबत दूब गत एक काल में हर वर्ष 44000 कुछुओं मारे गए हैं। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेट रिसर्च प्रोफेसर तथा शोध की एक प्रमुख तेज़ख कैसी संकों ने कहा, "यह संख्या बहुत ही अधिक है ताकि फिर भी वास्तविक संख्या से कम ही है।" क्योंकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि का अकलन कर पाना आसान नहीं होता।" सुनुक राष्ट्रसंघ के अनुसार सी टर्टल का भौतिक क्षेत्र के लिए शिकार कितना है इस जानने के लिए भी हड्डे पकड़ा जाता है। अवैध वाइल्डलाइफ मार्केट में टर्टल के अवैध व्यापार की हिस्सेदारी 23 अरब डॉलर है। टर्टल का अवैध शिकार कितना है इस जानने के लिए शोधकर्ताओं ने विभिन्न जर्नल्स में छोपे 209 आर्टिकल्स, मीडिया रिपोर्ट्स, संरक्षण संगठनों की रिपोर्ट्स आदि का अध्ययन किया तथा जनी साकुर टर्टल एवं टर्टल के वायप्रोडक्ट्स, जैसे सिर, पूँछ, शैल आदि की भी डेक्खा। शोध से पता चला कि 1990 से 2010 के बीच लगभग 43,000 टर्टल की तस्करी हुई है और सी टर्टल की लगभग 30 लाख से ज्यादा तक तस्करी दियताम तक तस्करी का सबसे लोकप्रिय बाजार है। सौंकों कहते हैं, जब तक अपनी देशों में टर्टल के उत्पादों की मांग रसीदी तब तक विकासशील देश टर्टल की आपूर्ति करते रहेंगे। कई देशों में तो यहाँ से "स्टफ्फ टर्टल" रखना स्टेट्स सिम्बल माना जाता है। जिन टर्टल्स का शिकार होता है उनमें 95 प्रतिशत संख्या ग्रीन टर्टल और हॉक्सबिल टर्टल की है। और शिकार सोसायटी के अध्यक्ष रॉडरिक मास्ट ने बताया कि, ग्रीन टर्टल का मांस बैंड रसायिक माना जाता, इनका जो पल्प या मीट होता है उसे लोग बहुत पसंद करते हैं। वही, हॉक्सबिल का उसके खूबसूरत शैल के लिए शिकार किया जाता है। ये प्रजातियां क्रमशः संकटग्रस्त व गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध हैं। तथापि, रिपोर्ट से यह भी सामने आया है कि गत दस वर्षों में सी टर्टल का अवैध शिकार 28 प्रतिशत घटा है और इसका कारण है इस जीव को लगातार मिल रहा कानूनी संरक्षण।

- एक और भारत
जोड़ो यात्रा
- जाल खंबाता-
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 22 सितम्बर। भारत जोड़ो यात्रा, जो अभी केरल से गुजर रही है, को मिले जन समर्थन से उत्साहित कांग्रेस ने तय किया है कि अगले वर्ष

एक हिजाब पर दो अलग-अलग कहानियां क्यों, कर्नाटक व तमिलनाडू में

■ भारत जोड़ो यात्रा को मिले भारी समर्थन से उत्साहित कांग्रेस अगले वर्ष एक और भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन करेगी। पार्टी के मुख्य प्रतकार, जयराम रमेश ने कहा कि, यह यात्रा पूर्व से परिचय तक इसी तरह की यात्रा आयोजित की जाएगी।

कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने केरल के नेतृत्वात् जमात कार्बिंगन संस्कृत में हुई एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एसी ही एक और भारत जोड़ो यात्रा होगी जिसमें विवार ज्ञारखंड और उत्तर पार्श्व अंतिम पृष्ठ पर।

'जो फैसला हाई कमान करेगा हम उसके साथ हैं'

जयपुर, 22 सितम्बर (का.प्र.)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तथा उनके स्थान पर नवा मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाओं के बीच राजस्थान के विधायिकों के सुर बदलने लगे।

■ बसपा नेता राजेन्द्र गुद्धा ने राजस्थान में सरकार का तख्ता पलटवारे पर अपना "स्टेप्ड" स्पष्ट किया।

रेहे और अपने बयानों को लेकर चर्चित बसपा से जीतकर कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायिकों ने भी अपना पुराना स्टेप्ड बदलने के संकेत दे दिए हैं और कहा है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, वह जिसके द्वारा कांग्रेस में भी पार्टी एकटु है और हम किसी भी क्रिमत पर सरकार रिपोर्ट करें।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ कर्नाटक सरकार ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हाजाब पर त्रिविधि लगाया है।

■ पर, तमिलनाडू में एक हैडमिस्ट्रेस ने दो मुस्लिम छात्राओं को अपना हिजाब उतार कर, अपने बैग में रखने के आदेश दिये तो, शिक्षा विभाग ने तुरंत स्कूल व हैडमिस्ट्रेस को साफ कहा कि, छात्राएं अपने आप निर्णय ले सकती हैं, उत्तर्वे हिजाब पहनना है या नहीं तथा स्कूल प्रशासन की इस मुद्दे पर कोई भूमिका नहीं है।

■ कर्नाटक सही है या तमिलनाडू, यह तो हिजाब के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही लड़ी सुनवायी के बाद, आने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही निर्धारित करेगा।

ओंचल्य के लिये स्कूल-कॉलेजों की पड़ी थी। हिजाब विवाद सर्वोच्च यूनिफॉर्मों (जहाँ ये लाग हैं) से संबंधित न्यायालय में भी पहुंच गया है। नियमों-कानूनों का हावाला दिया है तथा प्रसंगवश बता दें, सर्वोच्च अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से न्यायालय में हिजाब के विवाद लड़ी कानूनी कार्यवाही चली है तथा सभी इसकी अपेक्षित प्रतीक्रिया सामने आई है। विटक के शहर और काव्य जयमीनी तनाव के साक्षी हैं तथा इसे लेकर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

अंचल्य के लिये स्कूल-कॉलेजों की पड़ी थी। हिजाब विवाद सर्वोच्च यूनिफॉर्मों (जहाँ ये लाग हैं) से संबंधित न्यायालय में भी पहुंच गया है।

नियमों-कानूनों का हावाला दिया है तथा प्रसंगवश बता दें, सर्वोच्च अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से न्यायालय में हिजाब के विवाद लड़ी कानूनी कार्यवाही चली है तथा सभी इसकी अपेक्षित प्रतीक्रिया सामने आई है। विटक के शहर और काव्य जयमीनी तनाव के साक्षी हैं तथा इसे लेकर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

अंचल्य के लिये स्कूल-कॉलेजों की पड़ी थी। हिजाब विवाद सर्वोच्च यूनिफॉर्मों (जहाँ ये लाग हैं) से संबंधित न्यायालय में भी पहुंच गया है।

नियमों-कानूनों का हावाला दिया है तथा प्रसंगवश बता दें, सर्वोच्च अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से न्यायालय में हिजाब के विवाद लड़ी कानूनी कार्यवाही चली है तथा सभी इसकी अपेक्षित प्रतीक्रिया सामने आई है। विटक के शहर और काव्य जयमीनी तनाव के साक्षी हैं तथा इसे लेकर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

अंचल्य के लिये स्कूल-कॉलेजों की पड़ी थी। हिजाब विवाद सर्वोच्च यूनिफॉर्मों (जहाँ ये लाग हैं) से संबंधित न्यायालय में भी पहुंच गया है।

नियमों-कानूनों का हावाला दिया है तथा प्रसंगवश बता दें, सर्वोच्च अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से न्यायालय में हिजाब के विवाद लड़ी कानूनी कार्यवाही चली है तथा सभी इसकी अपेक्षित प्रतीक्रिया सामने आई है। विटक के शहर और काव्य जयमीनी तनाव के साक्षी हैं तथा इसे लेकर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

अंचल्य के लिये स्कूल-कॉलेजों की पड़ी थी। हिजाब विवाद सर्वोच्च यूनिफॉर्मों (जहाँ ये लाग हैं) से संबंधित न्यायालय में भी पहुंच गया है।

नियमों-कानूनों का हावाला दिया है तथा प्रसंगवश बता दें, सर्वोच्च अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से न्यायालय में हिजाब के विवाद लड़ी कानूनी कार्यवाही चली है तथा सभी इसकी अपेक्षित प्रतीक्रिया सामने आई है। विटक के शहर और काव्य जयमीनी तनाव के साक्षी हैं तथा इसे लेकर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

अंचल्य के लिये स्कूल-कॉलेजों की पड़ी थी। हिजाब विवाद सर्वोच्च यूनिफॉर्मों (जहाँ ये लाग हैं) से संबंधित न्यायालय में भी पहुंच गया है।

नियमों-कानूनों का हावाला दिया है तथा प्रसंगवश बता दें, सर्वोच्च अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से न्यायालय में हिजाब के विवाद लड़ी कानूनी कार्यवाही चली है तथा सभी इसकी अपेक्षित प्रतीक्रिया सामने आई है। विटक के शहर और काव्य जयमीनी तनाव के साक्षी हैं तथा इसे लेकर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

अंचल्य के लिये स्कूल-कॉलेजों की पड़ी थी। हिजाब विवाद सर्वोच्च यूनिफॉर्मों (जहाँ ये लाग हैं) से संबंधित न्यायालय में भी पहुंच गया है।

नियमों-कानूनों का हावाला दिया है तथा प्रसंगवश बता दें, सर्वोच्च अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से न्यायालय में हिजाब के विवाद लड़ी कानूनी कार्यवाही चली है तथा सभी इसकी अपेक्षित प्रतीक्रिया सामने आई है। विटक के शहर और काव्य जयमीनी तनाव के साक्षी हैं तथा इसे लेकर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

विचार बिन्दु

हिंसा के मुकाबले में लाचारी का भाव आना अहिंसा नहीं कायरता है। अहिंसा को कायरता के साथ नहीं मिलाना चाहिए। –महात्मा गांधी

क्या हिजाब के विवाद के निराकरण का कोर्ट के अतिरिक्त अन्य विकल्प भी हो सकता है?

ऐ

सा प्रतीत हो रहा है कि हम हिन्दू-मुसलिमान हमारी गंगा जमुनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमें गर्व या कि संविधान ने जहाँ देश को धर्मीय प्रेषण राज्य का दर्जा दिया, साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार भी दे दिया, किन्तु उसे लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के अधीन रहने दिया साथ ही धर्म के अबाध रूप से मानने, आधरण करने का अधिकार भी सभी व्यक्तियों को दे दिया और धार्मिक आचरण (Religious Practice) को रोगेट करने के बाबत राज्य को अधिकार दिया। इस प्रकार धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार सुरक्षित कर दिया धार्मिक आचरण के बाबत सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पांडे ने सन 1954 ही में यह निर्णय दिया कि ऐसी धार्मिक प्रेक्षित धर्म का मूल्य भाग होना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 25 में यही संदेश दिया है तथा अनुच्छेद 29 में यह घोषणा की कि कोई धार्मिक अध्यासङ्गक जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा है उसे उनकी संरक्षण का मूल अधिकार होगा।

प्रत्युत विवाद कर्नटक राज्य से है और हिजाब पहनने से संबंध रखता है। कर्नटक हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मुसलिमान कन्ना विद्यार्थियों पर हिजाब पहनने पर निषेध अदेश दर्जित है। राज्य ने हिजाब पर प्रतिबंध कुछ स्कूलों पर लगाया था। कर्नटक राज्य की ओर से दलिल दी गई है कि हिजाब का प्रश्न स्कूल यूनिफॉर्म के लिये नहीं है। सन 2021 से पूर्व हिजाब पर लगाया था।

सुरीम कोर्ट की खण्डपीठी के माननीय सदस्य जस्टिस धूलिया है। इस पीठ के समक्ष 23 पिटीशन के बेच पर सुनवाई हो रही है। इस खण्डपीठ के समक्ष दो प्रकार के केसेज हैं। एक जो रिट पिटीशन से संबंध रखता है जिसमें मुस्लिम बालिका स्टूडेन्ट्स ने हिजाब पहनने के अपने अधिकार के हेतु कोर्ट से गुहार ली है। दूसरे जो केसेज है जो एसएलपी के हैं, इनमें कर्नटक हाईकोर्ट के 15.03.2022 के निर्णय दिया कि विशिष्ट संस्कृतों में यूनिफॉर्म पहनना पिटीशन से के मूल अधिकार का अतिरिक्त है। कर्नटक हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश दिनांक 05.02.2022 को सही माना है, जिसमें विद्यार्थी जो प्रौद्योगिकी कालेज के पुस्तक स्टूडेन्ट्स हैं उन्हें हिजाब पहनने से विवेचित किया गया है। कर्नटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने यह करार दिया है कि हिजाब पहनना इस्लाम में Essential Religious Practice नहीं है। पूर्ण पीठ ने यह निर्णय दिया कि विशिष्ट संस्कृतों में यूनिफॉर्म पहनना पिटीशन से के मूल अधिकार का अतिरिक्त नहीं करता है। इसके बाद एडवोकेट एडवोकेट अदित्य सौंदर्य, राजीव धवन, हुंकर अहमदी आदि ने पक्षकारों की ओर से बहस की है। सरकार की ओर से श्री तुषार मेहता, सोलिस्टोर जनरल ने बहस की है। कर्नटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादी व एप्सोली नवारजन ने राज्य की ओर से तथा कॉलेजी वीरचर्च की ओर से शेषाद्री नवादू व वी. मोहन ने भी बहस में भाग लिया। इनका कहना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये। यूनिफॉर्म का संबंध विद्यार्थियों में समानता की भवना पैदा करता है। यहाँ अनुच्छेद 14 पर मददगर है। सोलिस्टोर एडवोकेट आर. वेंकटरमानी ने बहस में खण्डपीठ से बहसी तर्ज से पैदा होने चाहिये।

सीनियर एडवोकेट कलिल सिव्वल ने यह सुझाव दिया है जिस को संविधान पीठ को निर्णय हेतु भेजा जाना चाहिये। यह बहस भी की है कि इस केस में केवल अनुच्छेद 19 पर ही बहस सीमित नहीं है अपितु वह (Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा आदि ने पक्षकारों की ओर से बहस की है। सरकार की ओर से श्री तुषार मेहता, सोलिस्टोर जनरल ने बहस की है। कर्नटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादी व एप्सोली नवारजन ने राज्य की ओर से तथा कॉलेजी वीरचर्च की ओर से शेषाद्री नवादू व वी. मोहन ने भी बहस में भाग लिया। इनका कहना था कि यूनि�फॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये। यूनिफॉर्म का संबंध विद्यार्थियों में समानता की भवना पैदा करता है। यहाँ अनुच्छेद 14 पर मददगर है। सोलिस्टोर एडवोकेट आर. वेंकटरमानी ने बहस में खण्डपीठ से बहसी तर्ज से पैदा होने चाहिये।

2021 से पूर्व तक हिजाब कोई विवाद था ही नहीं। ऐसी स्थिति (यदि यह सच है तो) उसे अपनाया जा सकता है तथा इस विवादास्पद प्रश्न को बिना फैसला किये आपसी सदभाव से सुलझाया जाना चाहिये।

आपसी सहमति से पिटीशन विद्दों की जा सकती है।

प्रतिबंध लगाया है वह संविधान में जो Fraternity का Concept दिया है उसके विरुद्ध है। अहमदी की बहस भी कि राज्य की आज्ञा दिनांक 05.02.2022 जिससे विडियो पर प्रतिबंध लगाया है कि एसएलपी के केवल अनुच्छेद 19 पर ही बहस सीमित नहीं है अपितु वह (Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा आदि ने पक्षकारों की ओर से बहस की है। सरकार की ओर से श्री तुषार मेहता, सोलिस्टोर जनरल ने बहस की है। कर्नटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादी व एप्सोली नवारजन ने राज्य की ओर से तथा कॉलेजी वीरचर्च की ओर से शेषाद्री नवादू व वी. मोहन ने भी बहस में भाग लिया। इनका कहना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये। यूनिफॉर्म का संबंध विद्यार्थियों में समानता की भवना पैदा करता है। अपितु अनुच्छेद 14 पर मददगर है। यहाँ अनुच्छेद 14 पर यह लागू हो, अन्यथा प्रतिबंध संवेदनीक नहीं है। हिजाब पहनना अनुच्छेद 25 के तहत मूल अधिकार है।

सीनियर एडवोकेट कलिल सिव्वल ने यह सुझाव दिया है जिस को संविधान पीठ को

निर्णय हेतु भेजा जाना चाहिये। यह बहस भी की है कि इस केस में केवल अनुच्छेद 19 पर ही बहस सीमित नहीं है अपितु वह (Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा आदि ने कहा है। कर्नटक के केस में कोई को यह निर्णयित करना था कि Essential Religious Practice का है, अपितु उन्हें केवल यह बहलाना है कि महिलाओं को हिजाब पहनना सदभाविक प्रेक्षित है एवं केवल विशिष्ट संस्कृतों में यूनिफॉर्म पहनना पिटीशन से के मूल अधिकार का अतिरिक्त है। इनके बाद एडवोकेट एडवोकेट प्रश्नान्त भूषण के बाबत विवाद नहीं होता था। इनका कहना था कि यूनिफॉर्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये। यूनिफॉर्म का संबंध विद्यार्थियों में समानता की भवना पैदा करता है। अपितु अनुच्छेद 14 पर मददगर है। यहाँ अनुच्छेद 14 पर यह लागू हो, अन्यथा प्रतिबंध संवेदनीक नहीं है। हिजाब पहनना अनुच्छेद 25 के तहत मूल अधिकार है।

केस में दोनों पक्षों की ओर से बहस का स्तर ऊँचा है, किन्तु मूल प्रश्न तो यही माना जावेगा कि Essential Religious Practice का है और क्या हिजाब की प्रेक्षित है। इनके बाद एडवोकेट अहमदी ने यह भी बहस की कि राज्य की आज्ञा को यह टेस्ट के तहत अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा आदि ने कहा है। कर्नटक के केस में कोई को यह निर्णयित करना था कि Essential Religious Practice का है। अपितु उन्हें केवल यह बहलाना है कि महिलाओं को हिजाब पहनना सदभाविक प्रेक्षित है एवं केवल अनुच्छेद 19 पर ही बहस सीमित नहीं है अपितु वह (Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा आदि ने कहा है। कर्नटक के केस में कोई को यह निर्णयित करना था कि Essential Religious Practice का है, अपितु उन्हें केवल यह बहलाना है कि महिलाओं को हिजाब पहनना सदभाविक प्रेक्षित है एवं केवल अनुच्छेद 19 पर ही बहस सीमित नहीं है अपितु वह (Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा आदि ने कहा है। कर्नटक के केस में कोई को यह निर्णयित करना था कि Essential Religious Practice का है, अपितु उन्हें केवल यह बहलाना है कि महिलाओं को हिजाब पहनना सदभाविक प्रेक्षित है एवं केवल अनुच्छेद 19 पर ही बहस सीमित नहीं है अपितु वह (Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा आदि ने कहा है। कर्नटक के केस में कोई को यह निर्णयित करना था कि Essential Religious Practice का है, अपितु उन्हें केवल यह बहलाना है कि महिलाओं को हिजाब पहनना सदभाविक प्रेक्षित है एवं केवल अनुच्छेद 19 पर ही बहस सीमित नहीं है अपितु वह (Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा आदि ने कहा है। कर्नटक के केस में कोई को यह निर्णयित करना था कि Essential Religious Practice का है, अपितु उन्हें केवल यह बहलाना है कि महिलाओं को हिजाब पहनना सदभाविक प्रेक्षित है एवं केवल अनुच्छेद 19 पर ही बहस सीमित नहीं है अपितु वह (Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा आदि ने कहा है। कर्नटक के केस में कोई को यह निर्णयित करना था कि Essential Religious Practice का है, अपितु उन्हें केवल यह बहलाना है कि महिलाओं को हिजाब पहनना सदभाविक प्रेक्षित है एवं केवल अनुच्छेद 19 पर ही बहस सीमित नहीं है अपितु वह (Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा आदि ने कहा है। कर्नटक के केस में कोई को यह निर्णयित करना था कि Essential Religious Practice का है, अपितु उन्हें केवल यह बहलाना है कि महिलाओं को हिजाब पहनना सदभाविक प्रेक्षित है एवं केवल अनुच्छेद 19 पर ही बहस सीमित नहीं है अपितु वह (Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार की सुरक्षा आदि ने कहा है। कर्नटक के केस में कोई को यह निर्णयित करना था कि Essential Religious Practice का है, अपितु उन्हें केवल यह बहलाना है कि महिलाओं को ह

